रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-09032021-225723 SG-DL-E-09032021-225723

#### असाधारण EXTRAORDINARY

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]	दिल्ली, सोमवार , मार्च 8, 2021/ फाल्गुन 17, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 358
No. 86]	DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2021/ PHALGUNA 17, 1942	[N. C. T. D. No. 358

#### भाग IV PART IV

### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय अधिसूचना

दिल्ली, 8 मार्च, 2021

सं. फा. 1/367/डीजीई/2020/1226.— दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी (मतदाता पंजीकरण) नियमावली, 1973, के नियम 3(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रोयोग करते हुये, दिल्ली के उप राज्यपाल दिल्ली सरकार के उप निदेशक श्री संजय जैन तदर्थ दानिक्स अधिकारी, कला, संस्कृति व भाषा विभाग को दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 46 गुरुद्वारा वार्डों, जोकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित किये गये है, के चुनाव हेतु मतदाता सुचियों को बनाने/संशोधन हेतु मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से सहर्ष नियुक्त करते है |

दिल्ली के उप-राज्यपाल के नाम और की तरफ से.

नरिंदर सिंह, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव

1432 DG/2021 (1)

# DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS NOTIFICATION

Delhi, the 8th March, 2021

**No. F. 1/367/DGE/2020/1226.**—In exercise of powers as conferred under Rule 3(1) of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Registration of Electors) Rules, 1973, the Lt. Governor of Delhi is pleased to appoint Sh. Sanjay Jain, Dy. Secretary, Department of Art, Culture and Languages, GNCTD as Electoral Registration Officer for preparation/revision of Electoral Rolls for elections of Members in respect of 46 Gurdwara Wards of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee established under Section 3 of Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 with immediate effect;

In the Name and on behalf of Lt. Governor of Delhi,

NARINDER SINGH, Director (GE)